

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)**औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापति प्रमाणपत्र**

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/142277/CHN/CHANDAULI/1034/DD

दिनांक : 07-01-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **VIJAY SINGH S O LATE RAMPHAL SINGH, RAMBHAROS SINGH S O LATE BASDEV SINGH** पता **ARAZI NO -MI 155-1, MI 171-1, MI 169-1, KATESAR, PARAGANA -RALHUPUR, CHANDAULI** तहसील - **MUGHALSARAI** प्लॉट एरिया **10520.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **16980.36** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
VIJAY SINGH S O LATE RAMPHAL SINGH RAMBHAROS SINGH S O LATE BASDEV SINGH	19	1	57.75 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **VIJAY SINGH S O LATE RAMPHAL SINGH, RAMBHAROS SINGH S O LATE BASDEV SINGH** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि नियंत्रण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **VIJAY SINGH S O LATE RAMPHAL SINGH, RAMBHAROS SINGH S O LATE BASDEV SINGH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखा, सचताओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : निरक्षण अधिकारी की संसुति सहित आख्या के अनुसार यह प्रोविजिओनल प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। भवन निर्माण शुरू करने से पहले भवन निर्माण कर्ता / अर्चिटेक्ट / भवन स्वामी को यह जिम्मेदारी होगी की सत्ता प्राधिकारी से भवन निर्माण की अनुमति ले। भवन का निर्माण प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार करने के बाद एवं सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा मानकों को पूर्ण करके अग्निशमन पूर्णता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा / अग्निशमन पूर्णता प्रमाण पत्र के प्राप्त किये बिना, भवन में कोई आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधि चलाना पूर्ण प्रतिबंधित होगा



हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

उपनिदेशक

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Vivek Kumar Sharma

3131C40B7F6C3D0288C915191F43E615B7C776D4

18-01-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 18-01-2025

स्थान : VARANASI

Note: - Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.